न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 37 / 2023

प्रार्थी

01. हरीराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. हिरकनराम पुत्र कानाराम
2. तुलछाराम पुत्र कानाराम
3. रूगनाथराम पुत्र कानाराम
4. भागीरथराम पुत्र कानाराम
5. झमूदेवी पत्नी कानाराम उम्र जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 23.03.2022

अधिवक्तागण :– 1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मदनलाल, अधिवक्ता विप्रार्थीगण

— : : निर्णय : : —

दिनांक :– 21-2-24

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/1 क्षेत्रफल 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रैस साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थी की क्रय सुदा भूमि हैं जो प्रार्थी के क्रय के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं व प्रार्थी स्वयं के नाम से है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के खेत खसरा नम्बर 471 क्षेत्रफल 1.311[illegible] किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है, कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतो [illegible] किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिन्ह नहीं होने [illegible] एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 05

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2016/793 दिनांक 26.02.2016 पटवारी हल्का लूखू को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 24.06.2016 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थी व मौतबरान् के रूबरू शुरू किया था। रूबरू खातेदार व पड़ौसी खातेदार के मुश्तिकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान किया गया तथा प्रार्थी का कुछ रकबा कम पड़ रहा था तथा पड़ौसी खातेदार यानि विप्रार्थीगण के खातेदार द्वारा सीमाज्ञान में अपने खेत में जरीब चलाने से इन्कार किया व मौके पर दोनों खसरों के खातेदारों के बीच सेढे को लेकर विवाद है बताया गया है। व विप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान नहीं करने दिया तब हल्का पटवारी ने विवाद की स्थिति होने के कारण नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा खारकी बेरी पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/— रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/1 क्षेत्रफल 1.3193 हैक्टेयर कि[illegible] दोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश करवाने की कृपा करें का प्रार्थना पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 06 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, विप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जबाव नही देने पर विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के जबाव का अवसर बंद कर दिया गया।

प्रार्थी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावों ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है। प्रार्थना पत्र खारीज किया जाएं।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी विवादित आराजी ग्राम खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/1 क्षेत्रफल 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है "तहसीलदार धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2016/793 दिनांक 26.02.2016 पटवारी हल्का लूखू को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 24.06.2016 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थी व मौतबरान् के रूबरू शुरू किया था। रूबरू खातेदार व पड़ौसी खातेदार के मुश्तिकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान किया गया तथा प्रार्थी का कुछ रकबा कम पड़ रहा था तथा पड़ौसी खातेदार यानि विप्रार्थीगण के खातेदार द्वारा सीमाज्ञान में अपने खेत में जरीब चलाने से इन्कार किया व मौके पर दोनों खसरों के खातेदारों के बीच सेढे को लेकर विवाद है बताया गया है। कि दिनांक 15.12.2021 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थीनी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर उक्त खसरे की सीमा पर अस्थाई रेत के धाबा करवाया गया। उसके बाद आज से करीबन 20 रोज पूर्व विप्रार्थीगणों ने रेत धाबा

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

बिखेरने की धमकिया दी'' प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी ग्राम खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/1 क्षेत्रफल 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीनी की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 471/1 क्षेत्रफल 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीनी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा संख्या 471/1 क्षेत्रफल 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक (नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी) रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★

(धीरेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 21-2-24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:37:02 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner